**संख्या-388/2018/2643/22-2-2017-17(345)/2017**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 04 मई, 2018***

विषय:- जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तूलाल पुत्र श्री इतवारी निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-36354/प्रोबे0-5-दयायाचिका/972 दिनांक 06.10.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार ने जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पुत्तूलाल पुत्र श्री इतवारी, जो- ग्राम-कदम नगला, थाना-उसहैत, जनपद-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 23.11.1998 को बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर आबकारी विभाग तथा पुलिस के साथ लूटपाट व मारपीट कर असलहे छीनकर बंधक बनाकर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/2000 में भा0द0वि0 की धारा-395/397, 332, 342 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), बदायूँ के आदेश दिनांक 05.10.2013 द्वारा 10 वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.01.2017 तक 03 वर्ष 07 माह 18 दिन की अपरिहार सजा तथा 04 वर्ष 06 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सामान्य है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी पुत्तूलाल (बन्दी संख्या-549/2013) पुत्र श्री इतवारी निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-388/2018/2643(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, बदायूँ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in